प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
31/12/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषक ... पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 6/1/26 को पेश हो।
6/1/26	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधि० पंचायत चुनाव मतदाता सूची A-1 फोर्मेट की बैठक में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते साबिक कार्यवाही दि० 7/1/26 को पेश हो।
7/1/26	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रा० पत्र प्रार्थीगण प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करने में असफल रहने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मिस्ल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
110 पत्र/2021	01.04.2021	07.01.2026

1. मुकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री चौथमल जी उम्र 36 वर्ष जाति धोबी
2. दिनेश कुमार स्व0 श्री चौथमल जी उम्र 33 वर्ष जाति धोबी
3. रूकमणी पुत्री स्व0 श्री चौथमल जी, पत्नी डा0 धर्मराज, उम्र 42 वर्ष जाति धोबी
4. सन्जू देवी पुत्री स्व0 श्री चौथमल जी, पत्नी श्री रामअवतार पंकज, उम्र 39 वर्ष जाति धोबी
5. पिंकी पुत्री स्व0 श्री चौथमल जी, पत्नी श्री संजय कुमार, उम्र 27 वर्ष जाति धोबी निवासीगण–ग्राम हाड़ों का पीपल्दा, तहसील तालेड़ा जिला बून्दी हाल निवासी–सरस्वती कालोनी, गली नं.11,कोटा जंक्शन कोटा राजस्थान,

प्रार्थीगण

बनाम

1. हंसराज पुत्र किशारे उम्र लगभग 35 वर्ष जाति गुर्जर निवासी– गुर्जरों का मोहल्ला, जलोदी, तहसील तालेड़ा जिंला बून्दी राजस्थान।
2. तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला बून्दी राजस्थान

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री कन्हैया सोनी
अधिवक्ता अप्रार्थीगण :– श्री नन्दसिंह सौलंकी

– : : **निर्णय** : : –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है, जो कि अपनी कृषि आराजी खातेदारी काश्त की भूमि ग्राम हाड़ों का पीपल्दा, पटवार मण्डल लीलेडा व्यासान, भू.अभि.नि.क्षेत्र तालेडा, तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगणों के अलावा इसी क्षेत्र के अन्य के लगभग 10–12 किसान ओर भी है जिनकी प्रार्थीगणों की कृषि भूमि के पास में ही उनकी काश्त की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि के रास्ते पर एवं आराजी भूमि में कब्जा कर नींव खोदकर निर्माण कराया जा रहा है जिसका अप्रार्थी को कोई विधिक अधिकार एवं हक नही है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगणों ने एक सिविल वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमें प्रार्थीगण को सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थीगण की कृषि आराजी खसरा नम्बर 1058/252 की रकबा 0.18 हेक्टे0 एवं खसरा संख्या 1061/755 की रकबा 3 कुल दो खसरे नहरी ।। कुल क्षेत्रफल 3.18 स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण के पूर्वज एवं उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण अपने खेत पर अपना दैनिक कार्य करने के लिये आम रास्ता जो कि गांव से निकलकर प्रार्थीगण के खेत तक जाता है के जरिये पहुंचते है और अपना कृषि कार्य सम्पन्न करते चले रहे थे यह मार्ग खेतों तक पहुंचने का सामान्य आम मार्ग है, जो कि भूमि पर 90 वर्षो से पूर्व से ही चला आ रहा है जिसका सभी किसान उपयोग करते है, यह रास्ता किसी की कृषि भूमि या अन्य प्रकार की भूमि पर स्थित नहीं है इस रास्ते का सुखाधिकार सभी कृषकों को एवं सभी प्रार्थीगणों को प्राप्त होता चला आ रहा है। उक्त रास्ते पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 1058/252 की रकबा 0.18 पर द्वारा रास्ता एवं प्रार्थीगण की कृषि आराजी भूमि में कब्जा कर नींव खोदकर निर्माण कराया जा रहा है जिसका अप्रार्थी को कोई विधिक अधिकार एवं हक नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त आम रास्ते को बंद कर दिया है तथा प्रार्थीगण को एवं अन्य कृषकों को जिनकी आराजी उक्त रास्ते से जुड़ी हुई है, उनको आने जाने नहीं दिया जा रहा है जिसके चलते प्रार्थीगण एवं अन्य कृषक अपने खेतो तक नहीं पहुंच पा रहे है। अप्रार्थी का उक्त आम रास्ते को बंद एवं खाते की कृषि आराजी पर नीवं खोदकर निर्माण कार्य कर कब्जा कर रहा है। जिसका अप्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है तथा उक्त रास्ता एवं प्रार्थीगण की भूमि अप्रार्थी के खाते में भी दर्ज नहीं है अप्रार्थी भविष्य में भी आम रास्ते को अतिक्रमण कर शीघ्र ही सदैव के लिये किसानों का आम रास्ता नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। प्रार्थीगण की आराजी भूमि पर भी कब्जा कर रहा है । अप्रार्थी रास्ते की जमीन एवं वादी की आराजी भूमि को हडप कर अपने अवैध निर्माण में बदल लिया है और रास्ते की हद को सदैव के लिये समाप्त कर देना चाहता है और प्रार्थीगण एवं अन्य कृषकों के खेतों के

रास्ते को अवरूद्ध कर अतिक्रमण चाह रहा है जिसका कि अप्रार्थी को किसी भी प्रकार कोई विधिक अधिकार प्रार्थीगणों को समय-समय पर आम रास्ते की कठिनाईयों को झेलने के कारण अपने सुखाधिकार को प्राप्त के लिये समय पर पुलिस अधीक्षक, जिलाधीश महोदय, सम्बन्धित थाना पुलिस महोदय, बून्दी एवं एसडीएम तालेड़ा को भी लिखित रूप से आम रास्ता रोकने एवं वादी की आराजी भूमि पर कब्जा करने की शिकायतें की गयी कार्यवाही कर रास्ते को मुक्त करवाने का प्रयास करवाया गया अप्रार्थी की दबंगता व बलपूर्वक कार्यवाहियों के कारण प्रार्थीगणों को सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। प्रार्थीगणों को उक्त सुखाचार आम रास्ते का छीन लिये जाने के कारण भूमि की पैदावार से वंचित होना पड़ रहा है, अपने कृषि के संसाधनों को गांव से निकालकर जरिये आम रास्ता अपने खेतों पर लेकर जाने का कोई विकल्प मार्ग नहीं रहा है, ऐसा होने से सुचारित कृषि कार्य लगातार बाधित होने एवं प्रार्थीगण की आराजी भूमि पर अवैध कब्जा करने से प्रार्थीगण के समक्ष पैदावार प्राप्त न होने के कारण भरण-पोषण, रोजगार तथा भूखों मरने की समस्याऐं प्रारम्भ हो गयी है। प्रार्थीगणों द्वारा अन्तिम रूप से उक्त आम रास्ते का अप्रार्थी के द्वारा अतिक्रमण कर अन्तिम रूप से बाधित करने का कार्य कर दिये जाने के उपरान्त 26.03.2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बून्दी, पुलिस थाना तालेड़ा, जिला कलेक्टर बून्दी एवं एसडीएम तालेड़ा जिला बून्दी को एक लिखित परिवाद दिया गया । उसके उपरान्त पुलिस थाना तालेड़ा के जांच अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 27.03.2021 को थाने बुलाया गया जिसमें अप्रार्थी ने एक राजीनामा आलेखित किया कि वह आम रास्ते की जमीन को एवं प्रार्थीगण की आराजी भूमि को छोड़कर अपनी सीमा में ही निर्माण कार्य करेगा। दिनांक 28.03.2021 को जब वादी क्रम 1, 2 व 4 जब अपने आराजी पर गये तो वहां अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के ना तो कब्जा किया हुआ आराजी को छोड़ा और ना ही आम रास्ते पर किये जा रहे निर्माण कार्य को बंद किया। जब प्रार्थीगण ने उसका विरोध किया तो अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के साथ गाली-गलौच की एवं लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गया है और कहा कि ऐसे ही दूसरों की जमीनों पर कब्जा करता हूं मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है तथा कहा कि जलोदी में से निकलना बंद करवा दूंगा तुम्हारा। दिनांक 28.03.2021 को अंतिम बार प्रार्थीगण की कृषि आराजी एवं आम रास्ते पर किये जा रहे अवैध अतिक्रमण एवं प्रार्थीगण को रास्ते के सुखाचार से वंचित करने से इन्कार करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अप्रार्थी, प्रार्थीगण की फसल उगी हुई होने के उपरान्त भी प्रार्थीगण एवं किसानों का आम रास्ता बंद कर निर्माण कार्य करके व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, ऐसा करने के क्रम में उन्होंने मार्ग के प्रवेश द्वार पर और मार्ग के अंतिम छोर पर कार्य कर अतिक्रमण कर मार्ग का सुखाचार छिन्न-भिन्न कर दिया है और बाधाऐं लगातार कारित कर रहा है जिन्हें तत्काल स्थायी निषेधाज्ञा के जरिये रोका जाना प्रार्थीगण के दीवानी अधिकारों के हित में आवश्यक है कि अप्रार्थी को जीवन पर्यान्त प्रार्थीगण की भूमि एवं आम रहे आम रास्ते को खुर्द-बुर्द ना करे, बाधा कारित न करें, अतिक्रमण करने का प्रयास ना करने के लिये आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थी को आदेशित किया जाये। प्रार्थीगण की आराजी भूमि से लगवा आम रास्ता कृषकों की सुविधा के लिये सरकार द्वारा मुहैया कराया गया है। कृषक अपने खेतों पर अपने संसाधनों के जरिये पहुंचकर कृषि कार्य कर सके, किन्तु अप्रार्थी की मंशा एवं नियत खराब हो जाने के कारण एवं कृषकों की जमीनों को पड़त रखवाकर बिकवाने का अपराधिक प्रयास आम रास्ते को बाधित करके किया जा रहा है प्रार्थीगण की आराजी भूमि पर कब्जा कर प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है जिसका अप्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है जो कि न्यायहित में प्रार्थीगण एवं कृषकों के सिविल अधिकारों को एवं सुखाचार के अधिकारों से वंचित करने का अपराधिक कृत्य है व सिविल अधिकारों पर कुटाराघात है। उक्त वाद में प्रार्थीगण की काश्तकारी जमीन होने से प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन है, और यदि प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गयी तो प्रार्थीगणों को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकेगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया ।

अप्रार्थी सं 1 की ओर से जवाब प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित इबारत जिस प्रकार से लिखी गई है स्वीकार नही अस्वीकार है प्रार्थीगण ने कृषि भूमि के खसरा सं का वर्णन नही किया है चरण की शेष इबारत अस्वीकार है। प्रार्थी ने तथाकथित रास्ता किस खसरा सं. पर है उसका वर्णन नही किया है काल्पनिक तथ्यो के आधार पर रास्ता बताया गया है। प्रार्थीगण ने उक्त चरण मे बन्द रास्ते को खुलवाने का अनुतोष चाहा गया है लेकिन रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज गे0मु0 रास्ता है या सुखाधिकार के आधार पर रास्ता है का वर्णन नही किया है बन्द रास्ते को सिविल न्यायालय से आदेशात्मक आज्ञा के जर्ये ही खुलवाया जा सकता है बन्द रास्ते को खुलवाने हेतु आदेशात्मक आज्ञा जारी करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही सिविल न्यायालय को प्राप्त है क्षेत्राधिकार के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा झूठे तथ्यो का वर्णन किया गया है। प्रार्थीगण के पक्ष मे अप्रार्थी के विरूद्ध कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है वादकारण के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। दीवानी अधिकारो के हितो की सुरक्षा सिविल न्यायालय के माध्यम से की जा सकती है माननीय न्यायालय को आदेशात्मक आज्ञा जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। इसलिए प्रार्थीगण

खारिज किये जाने योग्य है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सतुलन और अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के प्रमाणित नहीं है। प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को महज तंग व परेशान करने की नियत से किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र रास्ते के सम्बंध में पेश किया तथा प्रार्थीगण ने उक्त वाद खातेदारी की भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया है। प्रार्थीगण के द्वारा माननीय न्यायालय से रास्ते के सम्बंध में चाहा गया अनुतोष सिविल न्यायालय द्वारा अनुदत किये जाने योग्य है तथा भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष विचारणीय न्यायालय के द्वारा अनुदत किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सिविल न्यायालय द्वारा प्रदत अनुतोष एवं राजस्व न्यायालय के द्वारा प्रदत अनुतोष के साथ कम्पोजिट रिलिफ के साथ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय को उक्त कम्पोजिट को सुनने व निर्णय करने बाबत विधि द्वारा वर्जित किया गया है जहां वाद अनुतोष कम्पोजिट सूट की तारिफ मे आता है जिसका एक अनुतोष राजस्व न्यायालय के द्वारा तथा एक अनुतोष सिविल न्यायालय के द्वारा अनूदत्त किये जाने योग्य होता है ऐसे कम्पोजिट सुट की श्रवणग्रहिता सिविल न्यायालय को प्राप्त होती है न की राजस्व न्यायालय को ऐसी स्थिति मे वादी का प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अप्रार्थी सं 1 का जवाब स्वीकार फरमाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करे।

बहस उभयपक्ष सूनी गई वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थीगण की कृषि आराजी खसरा नम्बर 1058/252 की रकबा 0.18 हेक्टे0 एवं खसरा संख्या 1061/755 की रकबा 3 कुल दो खसरे नहरी ।। कुल क्षेत्रफल 3.18 स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण के पूर्वज एवं उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण अपने खेत पर अपना दैनिक कार्य करने के लिये आम रास्ता जो कि गांव से निकलकर प्रार्थीगण के खेत तक जाता है के जरिये पहुंचते है और अपना कृषि कार्य सम्पन्न करते चले रहे थे यह मार्ग खेतों तक पहुंचने का सामान्य आम मार्ग है, जो कि भूमि पर 90 वर्षो से पूर्व से ही चला आ रहा है जिसका सभी किसान उपयोग करते है, यह रास्ता किसी की कृषि भूमि या अन्य प्रकार की भूमि पर स्थित नहीं है इस रास्ते का सुखाधिकार सभी कृषकों को एवं सभी प्रार्थीगणों को प्राप्त होता चला आ रहा है। उक्त रास्ते पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 1058/252 की रकबा 0.18 पर द्वारा रास्ता एवं प्रार्थीगण की कृषि आराजी भूमि में कब्जा कर नींव खोदकर निर्माण कराया जा कर आम रास्ते को अवरूद्ध कर रहा है। आम रास्ते का अप्रार्थी के द्वारा अतिक्रमण कर अन्तिम रूप से बाधित करने का कार्य कर दिये जाने के उपरान्त 26.03.2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बून्दी, पुलिस थाना तालेड़ा, जिला कलेक्टर बून्दी एवं एसडीएम तालेड़ा जिला बून्दी को एक लिखित परिवाद दिया गया । उसके उपरान्त पुलिस थाना तालेड़ा के जांच अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 27.03.2021 को थाने बुलाया गया जिसमें अप्रार्थी ने एक राजीनामा आलेखित किया कि वह आम रास्ते की जमीन को एवं प्रार्थीगण की आराजी भूमि को छोड़कर अपनी सीमा में ही निर्माण कार्य करेगा। दिनांक 28.03.2021 को जब वादी क्रम 1, 2 व 4 जब अपने आराजी पर गये तो वहां अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के ना तो कब्जा किया हुआ आराजी को छोड़ा और ना ही आम रास्ते पर किये जा रहे निर्माण कार्य को बंद किया। अप्रार्थी की मंशा एवं नियत खराब हो जाने के कारण एवं कृषकों की जमीनों को पड़त रखवाकर बिकवाने का अपराधिक प्रयास आम रास्ते को बाधित करके किया जा रहा है प्रार्थीगण की आराजी भूमि पर कब्जा कर प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है जिसका अप्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है जो कि न्यायहित में प्रार्थीगण एवं कृषकों के सिविल अधिकारों को एवं सुखाचार के अधिकारों से वंचित करने का अपराधिक कृत्य है व सिविल अधिकारों पर कुटाराघात है। उक्त वाद में प्रार्थीगण की काश्तकारी जमीन होने से प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन है, और यदि प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गयी तो प्रार्थीगणों को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकेगी।

वकील अप्रार्थी ने दोराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने कृषि भूमि के खसरा सं का वर्णन नहीं किया है प्रार्थीगण ने उक्त चरण मे बन्द रास्ते को खुलवाने का अनुतोष चाहा गया है लेकिन रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज गे0मु0 रास्ता है या सुखाधिकार के आधार पर रास्ता है का वर्णन नही किया है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सतुलन और अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे प्रमाणित नहीं है। प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को महज तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। बन्द रास्ते को सिविल न्यायालय से आदेशात्मक आज्ञा के जर्ये ही खुलवाया जा सकता है बन्द रास्ते को खुलवाने हेतु आदेशात्मक आज्ञा जारी करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही सिविल न्यायालय को प्राप्त है क्षेत्राधिकार के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद मुख्यतया प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर पहुंच हेतु पहुंच मार्ग पर अतिक्रमण एवं निर्माण कार्य को बन्द करवाकर रास्ता खुलवाने हेतु पेश किया गया है, किन्तु प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता दर्ज रेकार्ड

कोई दस्तावेज पेश नही किया गया। सुखाधिकार के आधार पर प्रार्थीगण अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी ी चाहते है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वांछित अनुतोष में कही यह अंकित ही नही किया कि अप्रार्थी ने किस ० पर रास्ते का आवागमन बन्द किया गया है और वह भूमि किस के खातेदारी अधिकार की भूमि है। ना ही कोई ी नक्शा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश किया गया। प्रार्थीगण के केवल मात्र सुखाधिकार के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहते है। अतः उक्त अपूर्ण तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण को अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दस्तावेजी साक्ष्यो से प्रमाणित करने में असफल रहने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सारे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा